न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी
अति0 कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (चतुर्थ) जयपुर

एफ.एस.एस.ए. प्रकरण संख्या : 09/2018

श्याम सुन्दर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, तत्कालीन कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर जोन, जयपुर। हाल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय।

प्रार्थी,

बनाम

शम्भूराम सैनी पुत्र श्री गिरधारी लाल सैनी (विक्रेता एवं मालिक), मैसर्स श्री गायत्री केटर्स, प्लाट नं0 1–4, ग्राम पो0 गोविन्दपुरा, जयरामपुरा रोड, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर। निवासी–42, श्री बालाजी धाम, पवनपुरी, बैनाड रोड, जयपुर।

अभियुक्त,

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा 2 (ii)/51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011)

उपस्थितिः–

1. पेरोकार सरकार उपस्थित ।
2. अभियुक्त की ओर से श्री रामचन्द्र सैनी, अधिवक्ता उपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 27.08.2019**

यह परिवाद श्याम सुन्दर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर जोन, जयपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि दिनांक 18.02.2018 को मैसर्स गायत्री केटर्स, प्लाट नं0 1–4, ग्राम पो0 गोविन्दपुरा, जयरामपुरा रोड, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर के विक्रेता/मालिक अभियुक्त शम्भूराम सैनी की उपस्थिति में दुकान में निरीक्षण करने पर एक स्टील की ट्रे में लगभग 5 किलो कलाकंद (दूध चीनी से निर्मित) आम जनता को विक्रय किये जाने हेतु रखा हुआ था। इनमें गुणवत्ता का शक होने पर इसमें से 2 किलो कलाकंद (दूध चीनी से निर्मित) वास्ते नमूना जांच संख्या अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर जोन, जयपुर के कोड एवं क्रमांक ए.सी.–1625 के लिये क्रय किया गया। क्रय किये गये 2 किलो कलाकंद (दूध चीनी से निर्मित) की कीमत अंके रूपये 480/– (अक्षरे रूपये चार सौ अस्सी मात्र) मौके पर उपस्थित विक्रेता/मालिक श्री शम्भूराम सैनी से केश मीमो/रसीद प्राप्त की जिस पर बतौर सबूत विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। जांच हेतु क्रय किये गये 2 किलो कलाकंद (दूध चीनी से निर्मित) की खाद्य विश्लेषक से जांच कराये जाने पर मिसब्राण्ड होना पाया गया है। अभियुक्त द्वारा अमानक खाद्य पदार्थ कलाकंद का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लघंन किया गया है। अतः धारा 51 में निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे।

Scanned by CamScanner

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार प्रकरण दर्ज रजिस्टर कराया जाकर अभियुक्त को नोटिस दिया जाकर साक्ष्य सबूत का समुचित अवसर प्रदान किया गया।

उभयपक्षों की बहस सुनी गई। विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त ने दौराने बहस कथन किया कि उसके द्वारा दूध चीनी से निर्मित कलाकंद ताजा दूध से तैयार किया गया था। उसकी छोटी सी चाय पानी की दूकान है तथा उनके द्वारा थोड़ी मात्रा में ग्राहकों के लिए शुद्ध मिठाई का उत्पादन किया जा कर विक्रय किया जाता है। निरीक्षण दिनांक को निरीक्षणकर्ताओं द्वारा जिस कलाकंद का नमूना लिया गया था वह ताजा तैयार किया गया था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट में जो कलाकंद अमानक बताया गया है, वह असत्य एवं निराधार है। हमारे द्वारा शुद्धता एवं मानक का पूर्ण ध्यान रखते हुए मिठाई तैयार कर विक्रय की जाती है। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अमानक प्रकरण को निरस्त किया जावें।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने कथन किया कि दिनांक 18.02.2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 01.02.2012 एवं दिनांक 10.02.2012 के अनुसार आवंटित कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत मैसर्स गायत्री केटर्स, प्लाट नं0 1–4, ग्राम पो0 गोविन्दपुरा, जयरामपुरा रोड, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर के यहां पर निरीक्षण हेतु पंहुचे तथा निरीक्षण करने पर दुकान में एक स्टील की ट्रे में लगभग 5 किलो कलाकंद (दूध चीनी से निर्मित) आम जनता को विक्रय किये जाने हेतु रखे हुए थे। इनमें गुणवत्ता का शक होने पर इसमें से 2 किलो कलाकंद (दूध चीनी से निर्मित) आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए होना पाया गया। जिनमें गुणवता की कमी का/मिसब्राण्ड का शक होने पर नमूना जांच हेतु 2 किलो कलाकंद (दूध चीनी से निर्मित) को खरीद कर खरीदशुदा कलाकंद को सील बन्द कर मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर को नमूना जांच हेतु जमा कराई गई। जिसमें खाद्य विश्लेषक राजस्थान, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एलएस/229/एक्ट/2018/324 दिनांक 07.03.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ 2 किलो कलाकंद (दूध चीनी से निर्मित) खाद्य पदार्थ अमानक होना पाया गया है। अतः अभियुक्त को धारा 51 निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावें।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन पाये जाने पर धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त को शास्ति से दण्डित करने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रा0 पत्र के समर्थन में निम्नाकिंत दस्तावेजात की प्रतियां प्रस्तुत की गई हैः–

1. प्रार्थी स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी है, के समर्थन में खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं (जन.स्वा.), राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एच/एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/727 दिनांक 29.11.2011 में प्रकाशन हुआ है, की प्रति।
2. जोन जयपुर क्षेत्र प्रार्थी को आंवटित है, के समर्थन में आदेश क्रमांक एच/एफएसएसए/(एफ–28)/नोटिफिकेशन/2012/172 दिनांक 01.02.2012 की प्रति।
3. प्रार्थी द्वारा दिनांक 18.02.2018 को नमूने के लिऐ क्रय किये 2 किलो कलाकंद (दूध चीनी से निर्मित) के समर्थन में विक्रेता द्वारा दिनांक 18.02.2018 को दिये गऐ केश–मीमो दिनांक 18.02.2018 की प्रति जिस पर स्वयं विक्रेता/मालिक शम्भूराम सैनी के हस्ताक्षर है।

Scanned by CamScanner

4. नमूना जांच हेतु क्रय किया गया इसकी सूचना विक्रेता को देने की पुष्टि में मौके पर तैयार किये गये प्ररूप 5ए की प्रति जिस पर प्ररूप 5ए की प्रति प्राप्ति हस्ताक्षर विक्रेता/मालिक शम्भूराम सैनी के है।
5. खाद्य विश्लेषक को जॉच हेतु नमूना भिजवाने के लिऐ तैयार किया गया प्ररूप 6 की प्रति एवं प्ररूप 6 की प्रतियां प्राप्ति की रसीद की प्रतियां।
6. मौके पर की गई समस्त कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट जिस पर विक्रेता रामस्वरूप के हस्ताक्षर है।
7. खाद्य विश्लेषक से नमूना जॉच रिपोर्ट दिनांक 07.03.2018 की प्रति जो निर्धारित प्ररूप बी में जारी की गई है और नमूना अमानक होना अंकित है।

हमनें उभयपक्षों की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है, उनसे प्रार्थी के कथन की पुष्टि होती है और इन दस्तावेजात की सत्यता पर सन्देह किये जाने का कोई वैधानिक आधार नही है। ऐसी स्थिति में खाद्य विश्लेषक की रिर्पोट प्रारूप–बी दिनांक 07.03.2018 पर संदेह किये जाने का कोई आधार नही है। अतः उक्त विवेचनानुसार हम यह स्पष्टतः सिद्ध पाते है कि अभियुक्त द्वारा अमानक खाद्य पदार्थ कलाकंद (दूध चीनी से निर्मित) विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम, 2011 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थिति को मध्यनजर रखते हुये हम अभियुक्त पर उक्त कृत्य के लिये राशि रूपये 50,000 (अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र) की शास्ति आरोपित करते है और यह आदेश देते है कि आरोपित शास्ति नियमानुसार निर्णय दिनांक के एक माह की अवधि में जमा करावें।

निर्णय सरे ईजलास आज दिनांक 27.08.2019 को सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर जिला–जयपुर (राज.) सत्यमेव जयते

(डॉ. अशोक कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी,
अति. जिला मजिस्ट्रेट,
(चतुर्थ), जयपुर

Scanned by CamScanner